



2026:AHC:171503

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26567 वर्ष 2026**

कृष्णपाल सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : करुणेश नारायण त्रिपाठी

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या- 55**

**माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान**

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं तथा यदि जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक उपनिरीक्षक है। आरोप है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता को आपराधिक अभियोजन से बाहर रखने के लिए ₹6,000/- की धनराशि की मांग की। तत्पश्चात् जाल बिछाने वाली टीम गठित की गई तथा ₹6,000/- की धनराशि बरामद की गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम दंड सात वर्ष है तथा इसका विचारण संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 09.07.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य से इनकार नहीं किया।
5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की, जिससे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त प्रदर्शित हो, जो आवेदक को जमानत दिए जाने से वंचित करता हो।
6. राज्य की ओर से यह तर्क नहीं दिया गया है कि आवेदक ने विवेचना अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।
7. यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर, भली-भाँति मान्यता प्राप्त है। उक्त सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 (10) एस.सी.सी. 51** में पुनः प्रतिपादित किया गया है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दर्शाई है, जो आवेदक को जमानत देने से इनकार किए जाने को उचित ठहराती हो।
8. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई सामग्री, तथ्य अथवा परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की गई है, जिससे यह संकेत मिले कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि उसकी मात्र स्वतंत्र उपस्थिति से साक्षी भयभीत हो जाएंगे अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय के मार्ग को विफल करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।
9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है, जो आवेदक के न्याय से फरार होने अथवा न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने अथवा अपराधों की पुनरावृत्ति करने या साक्षियों को भयभीत करने आदि के रूप में अन्य समस्याएँ उत्पन्न करने की ओर संकेत करती हो।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई सामग्री अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई है, जिससे यह स्थापित हो कि व्यापक जनहित अथवा राज्यहित में अभियुक्त/आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।

11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

12. आवेदक- **कृष्णपाल सिंह**, जो थाना भ्रष्टाचार निरोधक, बरेली, जनपद बरेली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 18 वर्ष 2026 में अभियुक्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो और/या आवेदक को जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध होना होगा।

(iv) आवेदक ऐसे किसी अपराध का कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके कारित करने का उस पर आरोप है अथवा जिसके कारित करने का उस पर संदेह है।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(vi) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vii) यदि आवेदक अपना आवासीय पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक नए आवासीय पते के संबंध में संबंधित न्यायालय को लिखित रूप से सूचित करेगा।

13. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

14 अगस्त, 2026

वी.एम.ए.

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।